राजस्थान सरकार
महिला एंव बाल विकास विभाग

क्रमांकः एफ.11 (3)10/मो./म.बा.वि/99/31837 जयपुर दिनांक 10.5.05

प्रेषकः–
शासन उप सचिव,
महिला एंव बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः–
निदेशक,
महिला एंव बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– आंगनबाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के स्वायत्तशाषी निकायो/पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाग लेने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि महिला एंव बाल विकास विभाग को विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयो एंव व्यक्तियों से आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओ के स्वायत्तशाषी निकायो/पंचायती राज संस्थाओं के चुनावो मे भाग लेने तथा विजयी होने पर इनके कार्य की निरन्तरता हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के अभ्यावेदनो के परीक्षण एंव समेकित बाल विकास कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित अधिकारो के दृष्टिगत विभाग द्वारा पूर्व मे प्रसारित सभी आदेशो/परिपत्रो के अतिक्रमण मे राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम मे मानदेय सेवाओं पर नियोजित आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के लिए इन संस्थाओं के चुनावो मे भाग लेने से पूर्व त्याग पत्र स्वीकृत करवाना होगा। अपना त्याग पत्र स्वीकार करवाये बिना इन्हे चुनावो में भाग लेने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी।

इस निर्णय के उपरान्त वर्तमान मे ऐसी महिलाए जो आगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका के साथ–साथ इन संस्थाओं के चुनावों में निर्वाचित होकर विभिन्न पद धारण किये हुए है उन्हे यह आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कार्यकर्ता/सहायिका के पद से त्याग पत्र देना होगा। ऐसी महिलाओं द्वारा स्वैच्छा से त्याग पत्र नही दिये जाने की स्थिति में उन्हे मानदेय सेवाओं से पृथक करने के आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर दिये जावे। ऐसी महिलाए जिन्होने त्याग पत्र देकर चुनावो में भाग लिया एंव पराजित हो गई है उनके पुनः चयन पर विचार नही किया जावे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

शासन उप सचिव
महिला एंव बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.11 (3)10/मो./म.बा.वि/99/31838-32173 जयपुर दिनांक 10.5.05

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, महिला एंव बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
5. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
9. समस्त उपनिदेशक आई.सी.डी.एस. एंव पदेन परियोजना निदेशक, महिला एंव बाल वि[illegible] विभाग।
10. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एंव बाल विकास विभाग।

शासन उप सचिव
महिला एंव बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर।